सं. 16/22/2015-रा0भा0(सेवा)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एनडीसीसी–II (नई दिल्ली सिटी सेंटर) भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 13 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में ।

******

राजभाषा विभाग समय-समय पर इस बात पर जोर देता रहा है कि तदर्थ/नियमित प्रोन्नति एवं स्थायीकरण आदि के मामलों की समय पर कार्रवाई किए जाने हेतु केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी वर्गों के अधिकारी/कर्मचारी अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमानुसार निर्धारित समय में पूरी करें। प्रसंगित विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.09.1985 के कार्यालय ज्ञापन सं0 35014/4/83स्था.(ए) एवं दिनांक 23.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं0 21011/1/2005-स्था.(ए)(पार्ट-।।) के द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने के मामले में एक निश्चित समय सीमा-निर्धारित की गई है। इस सीमित अवधि में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पूरी करना एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है।

2. उल्लेख किया जाना है कि दिनांक 05.10.2015 को सचिव (राभा) जी के द्वारा पदोन्नति के संबंध में की गई समीक्षा के अंतर्गत उन्हें अवगत करवाया गया कि संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें समय पर उपलब्ध न होने के कारण उनके स्थायीकरण एवं तदर्थ/नियमित प्रोन्नति इत्यादि के मामलों को राजभाषा विभाग में गठित विभागीय पदोन्नति समिति एवं संघ लोक सेवा आयोग को पदोन्नति के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हो जाता है। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि राजभाषा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.9.1985 एवं दिनांक 23.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन में जारी दिशा-निर्देशों के तहत उन्हें अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाय।

3. इस आदेश के अनुसार:-

क्र.सं.	कार्रवाई	APAR को पूरा करने के लिए निर्धारित तारीख
1	संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को self appraisal प्रस्तुत करना	15 अप्रैल तक
2	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन अधिकारी को गोपीनय रिपोर्ट प्रस्तुत करना	30 जून तक
3	पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट को पूरा कर राजभाषा विभाग को भेजे जाने की तिथि	31 जुलाई तक

4. इस संबंध में यह भी निर्णय हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर राजभाषा विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट न लिखने के सार्वजनिक कर्तव्य का पालन न करने वाले संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है और उचित स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर चूककर्ता अधिकारी को चेतावनी देने और उसके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस चेतावनी को दर्ज करने हेतु सिफारिश कर सकता है।

5. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि **उनके यहां तैनात राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने हेतु उपरोक्त अनुदेशों के पालन** के संबंध में निम्नानुसार सचेत किया जाय:-

(i) अगर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अपना self appraisal उपरोक्त समयावधि में पूरा कर लिया है और रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया है तो उसकी सूचना राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की गई तारीख के साथ सूचित करें।

(ii) रिपोर्टिंग अधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त समय सीमा (पैरा 3) के अन्दर (अगर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपना self appraisal नहीं पूरा करता) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को पूरा करें अन्यथा रिपोर्टिंग अधिकारी को कोई अभ्युक्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) पुनर्विलोकन अधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त समय सीमा (पैरा 3) के अन्दर (अगर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी अपना self appraisal नहीं पूरा करता या रिपोर्टिंग अधिकारी भी अपनी टिप्पणी पूरी नहीं करता) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का पुनर्विलोकन कर 31 जुलाई तक अपनी अभ्युक्ति दर्ज करने के पश्चात राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करें।

13/10/15

(ए. के. सिंह)
निदेशक
दूरभाष: 23438126

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।